भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016[1]

[20-09-2022 तक संशोधित]

सं. आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी 003.– : बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, 207 और 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमन बनाता है, अर्थात्-

अध्याय-I

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये विनियमन 29 नवंबर, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

परिभाषाएं

2. (1) इन विनियमनों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अभिप्रेत न हो-

[2][(क) "नियत कार्य(असाइनमेंट)" से किसी दिवाला व्यावसायिक का अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, शोधन अक्षमता न्यासी, प्राधिकृत प्रतिनिधि या संहिता के अधीन किसी अन्य भूमिका में कोई नियत कार्य अभिप्रेत है;

---

[1] अधिसूचना सं.आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी003., दिनांकित 23-11-2016, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित।

[2] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(कक) “नियत कार्य (असाइनमेंट) के लिए प्राधिकार” से किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा किसी ऐसे दिवाला व्यावसायिक को, जो उसका व्यावसायिक सदस्य है, उसकी उप-विधियों के अनुसार जारी किसी नियत कार्य को आरंभ करने का प्राधिकार अभिप्रेत है;

(कख) “विधिज्ञ परिषद्” से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित कोई विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है;’।]

(ख) “पंजीकरण का प्रमाण पत्र” से बोर्ड द्वारा इन विनियमों के साथ पठित संहिता की धारा 207 के अधीन प्रदान किए गए पंजीकरण के प्रमाण पत्र से अभिप्रेत है;

(ग) “संहिता” से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) से अभिप्रेत है;

(घ) “भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान” से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है;

(ङ) “भारतीय लागत लेखाकार संस्थान” से लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है;

(च) “भारतीय कंपनी सचिव संस्थान” से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है; और

(छ) “व्यावसायिक सदस्य’ से किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के सदस्य के रूपमें नामांकित किए गए व्यक्ति से अभिप्रेत है।

(2) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमनों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, के वही आशय होंगे जो उन्हें इस संहिता में दिए गए हैं।

अध्याय-II

दिवाला परीक्षाएं

3. (1) यह बोर्ड दिवाला, शोधन अक्षमता और प्रासंगिक विषयों में व्यक्तियों के ज्ञान और व्यावहारिक दक्षता की जांच करने के लिए स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से ऐसी रीति में और ऐसे समय अंतराल पर, जैसा कि विहित किया जाए, ‘राष्ट्रीय दिवाला परीक्षा’ का आयोजन करेगा।

(2) यह बोर्ड दिवाला, शोधन अक्षमता और प्रासंगिक विषयों में व्यक्तियों के ज्ञान और ज्ञान के विनियोग की जांच करने के लिए स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से एक 'सीमित दिवाला परीक्षा' आयोजित करेगा।

[3][(3) सीमित दिवाला परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारूप, अर्हक अंक और उसकी बारंबारता, परीक्षा से कम से कम तीन माह पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

अध्याय-III
दिवाला व्यावसायिकों का पंजीकरण

पात्रता

4. कोई व्यक्ति दिवाला व्यावसायिक के रूप में पंजीकरण का पात्र नहीं होगा यदि वह -

(क) नाबालिग है;

(ख) भारत में न रहता हो;

(ग) यथास्थिति विनियमन 5 या विनियमन 9 में निर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव न रखता हो;

(घ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा छः माह से अधिक अवधि के लिए या नैतिक भ्रष्टता वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और दंड समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष न बीते हों;

परंतु यह यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके लिए उसे सात वर्ष या अधिक अवधि के के लिए सजा दी गई है तो वह पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा;

(ड.) वह एक अभुक्त दिवाला है या उसने दिवाला के रूप में निर्णय हेतु आवेदन किया हो;

---

[3] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(च) उसे अस्वस्थ मानसिकता वाला घोषित किया गया हो; या

(छ) वह उपयुक्त और उचित व्यक्ति न हो।

स्पष्टीकरण- यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति इन विनियमनों के अधीन उपयुक्त और उचित है, यह बोर्ड सही समझे जाने वाले निम्नलिखित मानकों सहित परंतु उन तक सीमित न रहते हुए किसी भी दृष्टिकोण से विचार करेगा -

(i) सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और चरित्र,

(ii) अपराध सिद्धि और निरोधक आदेश न होना, और

(iii) वित्तीय साख तथा निवल मूल्य सहित सक्षमता।

[4][अर्हताएं और अनुभव

5. (1) इन विनियमनों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए तभी पात्र होगा, यदि उसने -

(क) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पास नामांकन के लिए अपने आवेदन की तारीख से पूर्व बारह माह के भीतर सीमित दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;

(ख) उसने किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में व्यवसायिक सदस्य के रूप में नामांकन के पश्चात से ऐसा पंजीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, जैसी कि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए; और

(ग) उसने -

(i) बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है;
(ii) बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित स्नातक दिवाला कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है;
(iii) [5][विधि द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा किसी अनुमोदित संस्थान से-

(क) विधि में बैचलर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् विधि के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव,

---

[4] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.077, दिनांकित 22-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित

(ख) प्रबंधन में मास्टर डिग्री या प्रबंधन में दो-वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् प्रबंधन में दस वर्ष का अनुभव, या

(ग) बैचलर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात्, प्रबंधन में पन्द्रह वर्ष का अनुभव; या]

(iv)के रूप में दस वर्ष का अनुभव है-

(क) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट,

(ख) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत कंपनी सचिव,

(ग) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत लागत लेखाकार, या

(घ) बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता |

[6][**स्पष्टीकरण 1** - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, केवल वृत्तिक और प्रबंधकीय अनुभव पर विचार किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2 - (क) उपखंड (iii) के अधीन दस या पन्द्रह वर्ष के कुल अनुभव की गणना करने के प्रयोजनार्थ, उपखंड (iv) के अधीन किसी अवधि के अनुभव को शामिल किया जाएगा;

(ख) उपखंड (iv) के अधीन दस वर्ष के कुल अनुभव की गणना करने के प्रयोजनार्थ उस उपखंड की किसी भी मद के अधीन किसी अवधि के अनुभव को शामिल किया जाएगा ।

दृष्टांत 1

जहां किसी व्यष्टि के पास उपखंड (iii) के अधीन नौ वर्ष का अनुभव और उपखंड (iv) के अधीन छह वर्ष का अनुभव है वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके पास उपखंड (iii) के प्रयोजनों के लिए पन्द्रह वर्ष का अनुभव है ।

दृष्टांत 2

जहां किसी व्यष्टि के पास उपखंड (iv) की मद (क) के अधीन छह वर्ष का अनुभव और उपखंड (iv) की मद (घ) के अधीन चार वर्ष का अनुभव है वहां उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके पास उपखंड (iv) के प्रयोजनों के लिए दस वर्ष का कुल अनुभव है ।]

पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

[6] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.077, दिनांकित 22-07-2021 द्वारा अंतःस्थापित।

6. (1) किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में एक व्यावसायिक सदस्य के रूप में पंजीकृत कोई व्यक्ति इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्रारूप क में [7][बीस]हजार रुपए के गैर-प्रत्यावर्तनीय आवेदन शुल्क के साथ बोर्ड को आवेदन कर सकता है।

(2) यह बोर्ड इस विनियमन के अधीन आवेदन प्राप्ति के सात दिन के अंदर इसकी पावती देगा।

(3) यह बोर्ड आवेदक को समुचित समय के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण, जैसा कि वह उपयुक्त समझे, प्रस्तुत करने को कह सकता है।

(4) यह बोर्ड किसी आवेदक को समुचित समय के भीतर बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन पर कार्रवाई के लिए अपेक्षित स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होने को कह सकता है।

पंजीकरण का प्रमाण पत्र

7. (1) यदि बोर्ड आवश्यक समझे जाने वाले निरीक्षण या जांच के बाद संतुष्ट है कि आवेदक इन विनियमनों के अधीन पात्र है तो वह बोर्ड आवेदन प्राप्ति के साठ दिन के अंदर इन विनियमनों की दूसरी अनुसूची के प्रारूप ख में दिवाला व्यावसायिक के कार्यकलापों को चलाने हेतु पंजीकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है जिसमें बोर्ड द्वारा यथास्थिति अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए दिया गया समय शामिल नहीं है।

(2) यह पंजीकरण इन शर्तों के अधीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक -

(क) हमेशा संहिता, इसके अधीन नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों तथा दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें वह पंजीकृत है, की उप-विधियों का पालन करेगा;

(ख) हमेशा विनियमन 4 के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करेगा;

[8](खक) ऐसी निरंतर व्यावसायिक शिक्षा पूरी करेगा, जैसी कि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए;

---

[7] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[8] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(खख) संहिता के अधीन अपने किसी कर्तव्य और उत्तरदायित्व का पालन, सिवाय उनके जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात हैं, बाहरी स्रोत से नहीं कराएगा।]

[9][(ग) यदि दिवाला व्यावसायिक एक व्यष्टि है तो बीस हजार रूपए की फीस या यदि दिवाला व्यावसायिक एक दिवाला व्यावसायिक संस्था है तो दो लाख रुपए की फीस का संदाय उस वर्ष के पश्चात्, जिसमें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, प्रत्येक पांच वर्ष में बोर्ड को करेगा और ऐसी फीस का संदाय उस वर्ष की, जिसमें यह देय होती है, 30 अप्रैल को या उससे पूर्व किया जाएगा ।

दृष्टांत

जहां रजिस्ट्रीकरण वर्ष 2021-22 में, 2 फरवरी, 2022 को प्रदान किया जाता है वहां फीस पांच वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2027 को देय हो जाएगी और वह 30 अप्रैल, 2027 को या उससे पूर्व संदेय होगी ।]

(गक) बोर्ड को, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित व्यावसायिक फीस के [10][एक प्रतिशत]की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप ङ में की विवरणी सहित प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा;]

[11][परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व करेगा।]

[12][परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2021 को या उससे पूर्व करेगा ।]

[13][परन्तु यह और कि जहां दिवाला व्यावसायिक एक दिवाला व्यावसायिक संस्था है वहां वह बोर्ड को, प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को या उससे पूर्व दूसरी अनुसूची के प्ररूप छ में एक विवरणी सहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित व्यावसायिक फीस के एक प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय करेगी ।]

[14][(गख) बोर्ड को, दूसरी अनुसूची के प्ररूप ङक में विवरणी सहित, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर या दिवाला समाधान प्रक्रिया के बन्द हो

---

[9] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[10] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[11] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-2021/जी.एन./आर.ई.जी.057, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा अंतःस्थापित।

[12] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-2022/जी.एन./आर.ई.जी.073, दिनांकित 27-04-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

[13] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

[14] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

जाने पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 31क के उप-विनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा ।

स्पष्टीकरण: "तिमाही" से किसी वित्तीय वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्तूबर के प्रथम दिवस से प्रारंभ होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है ।]

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो वह दिवाला व्यावसायिक के रूप में अपनी सेवाएं तब तक नहीं देगा जब तक कि वह विनियमन 13 के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का एक भागीदार या निदेशक नहीं बन जाता;

(ङ) एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में अपनी व्यावसायिक सदस्यता अंतरित करने के लिए दोनों संबंधित दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद बोर्ड की पूर्व अनुमति लेगा;

(च) शिकायतों के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय करेगा;

(छ) कोई कार्य पूरा होने के कम से कम तीन वर्ष तक संहिता के अधीन उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों का रिकार्ड रखेगा;

(ज) इन विनियमनों के पहली अनुसूची में निर्दिष्ट आचार संहिता का अनुपालन करेगा; और

(झ) बोर्ड द्वारा लगाई गई ऐसी अन्य शर्तों का पालन करेगा।

[15][नियतकार्य के लिए प्राधिकार

7क. कोई दिवाला व्यावसायिक 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात् तब तक कोई नियतकार्य स्वीकार या हाथ में नहीं लेगा जब तक कि वह, यथास्थिति, ऐसे नियत कार्य के स्वीकार या प्रारंभ करने की तारीख को कोई विधिमान्य प्राधिकार धारित न करता हो:

परन्तु इस विनियम के उपबंध ऐसे किसी नियत कार्य को लागू नहीं होंगे जिसे कोई दिवाला व्यावसायिक -

(क) 31 दिसम्बर, 2019; या

(ख) नियत कार्य के लिए उसके प्राधिकार के अवसान की तारीख,

---

[15] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

को आरंभ कर रहा है।]

प्रमाण पत्र प्रदान करने से इंकार

8. (1) यदि विनियमन 6 के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद बोर्ड का प्रथम दृष्टतया यह मत है कि पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए तो ऐसा मत बनाने के कारणों को सूचित करेगा और आवेदक को बोर्ड से सूचना प्राप्ति के पंद्रह दिन के अंदर एक अंतिम मत बनाने के लिए यह स्पष्ट करने का अवसर देगा कि उसका आवेदन क्यों स्वीकार किया जाए।

(2) आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के अंदर आवेदक को उप-विनियमन (1) के अधीन सूचित किया जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा यथास्थिति अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए दिया गया समय शामिल नहीं है।

(3) उप-विनियमन (1) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि हो पर विचार करने के बाद यह बोर्ड अपना निर्णय सूचित करेगा -

(क) आवेदन की स्वीकृति और पंजीकरण प्रमाण पत्र,

(ख) एक आदेश द्वारा आवेदन की नामंजूरी और उसके कारण

स्पष्टीकरण की प्राप्ति के तीस दिन के अंदर।

सीमित अवधि के लिए पंजीकरण

9. [16][∗∗∗]

[17][अध्याय-IV

नियत कार्य के लिए प्राधिकार जारी करना और उसका अभ्यर्पण तथा अनुशासनिक कार्यवाहियां]

अस्थायी अभ्यर्पण

10. [18][(1) कोई दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जब वह -

---

16 अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.077, दिनांकित 22-07-2021 द्वारा लोप किया गया।

17 अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) नियत कार्य के लिए कोई प्राधिकार जारी करती है या उसका नवीकरण करती है;

(ख) नियत कार्य के लिए किसी प्राधिकार को निलंबित या रद्द करती है;

(ग) नियत कार्य के लिए किसी प्राधिकार का प्रतिसंहरण या निलंबन करती है;

(घ) नियत कार्य के लिए किसी प्राधिकार के अभ्यर्पण को स्वीकार करती है,

ऐसी कार्रवाई करने के एक कार्य दिवस के भीतर बोर्ड को सूचित करेगी ।]

(2) यह बोर्ड उप-विनियमन (1) के अधीन प्राप्त सूचना को नोट करेगा।

[19][अनुशासनिक कार्यवाहियां

11. अनुशासनिक कार्यवाहियों का संचालन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।]

अध्याय V

दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं की मान्यता

दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं की मान्यता :

12. [20][(1) किसी कंपनी, किसी रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी को किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में तभी मान्यता दी जा सकेगी, यदि -

(क) [21][उसका एकमात्र उद्देश्य दिवाला व्यावसायिकों को सहायता सेवाएं प्रदान करना है];

---

[18] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[19] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.088, दिनांकित 04-07-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[20] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[21] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2020-21/ जी.एन./आर.ई.जी.061, दिनांकित 30-06-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) उसका शुद्ध मूल्य एक करोड़ रुपए से कम नहीं है;

(ग) [22][उसके अधिकांश इक्विटी शेयर] ऐसे दिवाला व्यावसायिकों द्वारा धारित हैं, जो यदि वह एक कंपनी है तो उसके निदेशक हैं;

(घ) अधिकांश पूंजी अंशदान ऐसे दिवाला व्यावसायिकों द्वारा किया जाता है, जो कि यदि वह एक सीमित दायित्व भागीदारी फर्म या कोई रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म है तो उसके भागीदार हैं;

(ङ) उसके अधिकांश, यथास्थिति, भागीदार या निदेशक दिवाला व्यावसायिक हैं;

(च) उसके अधिकांश पूर्णकालिक निदेशक, यदि वह एक कंपनी है, दिवाला व्यावसायिक हैं; और

(छ) उसका कोई भी भागीदार या निदेशक किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक संस्था का भागीदार या निदेशक नहीं है :

[23][परन्तु भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं, 31 दिसम्बर, 2021 को या इससे पूर्व खंड (ख) और खंड (ग) के उपबंधों का अनुपालन करेंगी ।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए 'शुद्ध मूल्य' से अभिप्रेत है -

(i) किसी कंपनी की दशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) के अधीन यथा-परिभाषित शुद्ध मूल्य;

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, पूंजीगत खाते में भागीदारों के अंशदान और संचित हानि, यदि कोई है, को घटाकर उनके अवितरित लाभों का योग ।]

[24][(2) उप-विनियम (1) के अधीन पात्र कोई व्यक्ति, दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता लेने के लिए बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप ग में [25][दो लाख]रूपए की आवेदन फीस सहित आवेदन कर सकेगा ।]

---

[22] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.077, दिनांकित 22-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[23] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.077, दिनांकित 22-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[24] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[25] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[26][(3) बोर्ड, इस विनियम के अधीन किए गए आवेदन को उसकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर अभिस्वीकार करेगा ।

(4) बोर्ड, आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात्,-

(i) आवेदक से युक्तिसंगत समय के भीतर ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज़, जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ii) आवेदक का निरीक्षण या जांच कर सकेगा;

(iii) आवेदक के किसी निदेशक या भागीदार से किन्हीं स्पष्टीकरणों के लिए युक्तिसंगत समय के भीतर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा,

जैसा आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ।]

13. [27][(1) (क) जहां विनियम 12 के उप-विनियम (4) के अधीन आवेदन पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड,-

(i) का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक इन विनियमों के अधीन पात्र है वहां वह आवेदन प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर, आवेदक द्वारा विनियम 12 के उप-विनियम (4) के अधीन, यथास्थिति, अतिरिक्त दस्तावेज़, जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में लिए गए समय को छोड़कर, दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा;

(ii) की प्रथमदृष्टया राय यह है कि मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिए वहां वह ऐसी राय उसके कारणों सहित संसूचित करेगा और अंतिम राय बनाने में स्वयं को समर्थ बनाने के लिए आवेदक को, बोर्ड से संसूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगा ।

(ख) बोर्ड, आवेदक द्वारा खंड (क) के अधीन प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई है, प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर -

(i) दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करेगा; या

(ii) आवेदन को, आदेश द्वारा, उसके लिए कारण अभिलिखित करते हुए, नामंजूर करेगा ।

(ग) बोर्ड, खंड (क) या खंड (ख) के अधीन दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता प्रमाणपत्र, दूसरी अनुसूची के प्ररूप घ में प्रदान करेगा ।]

---

[26] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.077, दिनांकित 22-07-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

[27] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.077, दिनांकित 22-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था -

(क) हमेशा विनियम (12) के तहत अपेक्षाओं को लगातार पूरा करेगी;

[28][(ख) जब कोई व्यक्ति, उसका, यथास्थिति, निदेशक या भागीदार नहीं रहता है, बोर्ड को [29][तीस] दिन के भीतर दो हजार रूपए की फीस सहित दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में सूचित करेगी;

[30][परन्तु जब कोई व्यक्ति भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से और 31 दिसम्बर, 2020 तक, यथास्थिति, उसका निदेशक या भागीदार नहीं रह जाता है, तब दिवाला व्यावसायिक संस्था ऐसा निदेशक या भागीदार न रहने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगी]

[31][परन्तु यह और कि जब कोई व्यष्टि, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से और 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त अवधि तक यथास्थिति, उसका निदेशक या भागीदार नहीं रह जाता है तब दिवाला व्यावसायिक संस्था, ऐसा निदेशक या भागीदार न रहने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगा;]

(ग) जब कोई व्यक्ति, उसमें यथास्थिति, निदेशक या भागीदार के रूप में शामिल होता है, बोर्ड को [32][तीस] दिन के भीतर दो हजार रूपए की फीस सहित दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में सूचित करेगी;

[33][परन्तु जब कोई व्यक्ति भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से और 31 दिसम्बर, 2020 तक, यथास्थिति, उसके निदेशक या भागीदार के रूप में प्रवेश करता है, तब

---

[28] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[29] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.077, दिनांकित 22-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[30] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-2021/जी.एन./आर.ई.जी.057, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

[31] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-2022/जी.एन./आर.ई.जी.073, दिनांकित 27-04-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

[32] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.077, दिनांकित 22-07-2021 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[33] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-2021/जी.एन./आर.ई.जी.057, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

दिवाला व्यावसायिक संस्था ऐसे निदेशक या भागीदार के रूप में प्रवेश करने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगी]

[34][परन्तु यह और कि जब कोई व्यष्टि, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से और 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त अवधि तक यथास्थिति, उसके निदेशक या भागीदार के रूप में प्रवेश करता है तब दिवाला व्यावसायिक संस्था, ऐसे प्रवेश से तीस दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगा;]

(गक) बोर्ड को, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त के [35][एक प्रतिशत] प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप छ में की विवरणी सहित [36][30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा:

परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व करेगी; और"।]

[37][परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिकसंस्था, इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2021 को या उससे पूर्व करेगा; और ।]

[38][परन्तु यह और कि यदि दिवाला व्यावसायिक संस्था, दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है तो इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ सेवाओं के अंतर्गत वे सेवाएं नहीं आएंगी जो विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (गक) के तीसरे परन्तुक के अधीन उपबंधित दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की जाती हैं।]

[39][(गख) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप ज में एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी:

---

[34] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-2022/जी.एन./आर.ई.जी.073, दिनांकित 27-04-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

[35] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[36] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-2021/जी.एन./आर.ई.जी.057, दिनांकित 20-04-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[37] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-2022/जी.एन./आर.ई.जी.073, दिनांकित 27-04-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

[38] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

[39] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, दिनांकित 25-10-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

परन्तु 31 मार्च, 2019 को मान्यताप्राप्त कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था, बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 31 दिसम्बर, 2019 तक प्ररूप ज में एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी ।]

(घ) ऐसी अन्य शर्तों, जो भी विनिर्दिष्ट हैं, का पालन करेगा।

(3) कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था ऐसी भागीदारी या निदेशकता के दौरान दिवाला व्यावसायिक के रूप में वचनबद्ध अपने भागीदारों या निदेशकों के सभी कार्यों या कृत्यों का संयुक्ततः और पृथकतः रूप से उत्तरदायी होगा।

14. जहां बोर्ड का मानना है कि किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था की मान्यता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण हैं तो वह एक तार्कसंगत आदेश पारित करके ऐसा कर सकता है।

[40]**[15. ब्याज** - ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, जैसा कि वह संहिता या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उचित समझे, कर सकता है, किसी दिवाला व्यावसायिक या किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा फीस के संदाय में विलंब करने पर, इन विनियमों के अधीन फीस का संदाय करने की अंतिम तारीख के पश्चात् असंदत्त फीस की रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज बोर्ड को संदत्त किया जाएगा ।

[40] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, दिनांकित 11-10-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्रथम अनुसूची

[[41]विनियम 7(2)(ज) के अधीन]

दिवाला व्यवसायिकों हेतु आचार संहिता

स्वतंत्रता और निष्पक्षता

1. एक दिवाला व्यावसायिक ईमानदार, स्पष्टवादी और अपने समस्त व्यावसायिक संबंधों में निष्कपट रहेगा।

2. एक दिवाला व्यावसायिक किन्हीं तथ्यों या परिस्थितियों को गलत तरीके से पेश नहीं करेगा और किसी ऐसे कार्य में लिप्त नहीं होगा जिससे व्यवसाय की बदनामी हो।

3. एक दिवाला व्यावसायिक अपने व्यावसायिक कार्यों में यह सुनिश्चित करते हुए निष्पक्षता से कार्य करेगा कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय पक्षपात रहित, हितों के टकराव और दबाव रहित हों, तथा किसी पक्ष का अनुचित प्रभाव नहीं हो, भले ही वह दिवाला कार्रवाई से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है अथवा नहीं।

[42][3क. दिवाला व्यावसायिक को, जब कभी नियत कार्य के दौरान कोई हित-संघर्ष उसके सामने आता है, ऐसे किसी हित-संघर्ष के ब्यौरे हितधारकों को प्रकट करने चाहिएं ।]

4. एक अंतरिम संकल्प व्यावसायिक, संकल्प व्यावसायिक, समापक या शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्त कोई दिवाला व्यावसायिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को ऋणदाता की किसी आस्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा और नहीं जानते बूझते किसी रिश्तेदार को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा।

5. एक दिवाला व्यावसायिक को अपने व्यावसायिक संबंधों में पूर्ण स्वतंत्रता रखनी चाहिए और दिवाला संकल्प, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, को बाह्य प्रभावों से दूर रखना चाहिए।

---

[41] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[42] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

6. यदि दिवाला व्यावसायिक समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया के दौरान जब ऋणी की आस्तियों से संबंधित कार्य कर रहा है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह या उसके संबंधी ऐसी किसी संपत्ति का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जानते बूझते अधिग्रहण नहीं कर रहे है अन्यथा यह माना जाएगा कि समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया में विषय से संबंधित कोई कमी, निष्पक्षता और स्वतंत्रता नहीं थी और इस मामले में बोर्ड का अनुमोदन ले लिया गया है।

7. कोई दिवाला व्यावसायिक संहिता के तहत कोई कार्य नहीं लेगा यदि वह, उसका कोई संबंधी उस दिवाला व्यावसायिक निकाय, जिसका वह भागीदार या निदेशक है, या जिसका वह दिवाला व्यावसायिक किसी भागीदार या वह निदेशक है, कारपोरेट व्यक्ति/ऋणी या इससे संबंधित पक्षों के संबंध में संहिता के तहत प्रक्रियाओं से संबंधित विनियम के अनुसरण में स्वतंत्र नहीं है।

8. एक दिवाला व्यावसायिक संहिता की धारा 53 या 178 के तहत वितरण के पात्र किसी हितधारक के साथ किसी आर्थिक या व्यक्तिगत संबंधों का प्रकटीकरण करेगा और संबंधित कारपोरेट व्यक्ति/ऋणी को इसकी जानकारी मिलते ही आवेदक, लेनदारों की समिति और नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों, जैसा भी लागू है, को घोषणा करके प्रकटीकरण करेंगे।
[43][8क. कोई दिवाला व्यावसायिक, लेनदारों की समिति और उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है, इस बारे में प्रकटीकरण करेगा कि क्या वह किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था का कर्मचारी था या उनके द्वारा पैनलित किया गया है और एजेंसी ऐसे प्रकटन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी ।]

[44][8ख. कोई दिवाला व्यावसायिक, उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को, जिसका वह सदस्य है, कारपोरेट ऋणी, उसके द्वारा नियोजित अन्य व्यावसायिकों, वित्तीय लेनदारों, अंतरिम वित्त प्रदाताओं और भावी समाधान आवेदकों के साथ अपने संबंध को, यदि कोई है, इसमें इसके नीचे विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रकट करेगा:

दिवाला व्यावसायिक का निम्नलिखित के साथ संबंध	**प्रकटन तीन दिन के भीतर किया जाना है**

[43] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।
[44] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.088, दिनांकित 04-07-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

(1)	(2)
कारपोरेट ऋणी	उसकी नियुक्ति के
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक/लेखाकार/विधिक व्यावसायिक/उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यावसायिक	व्यावसायिकों की नियुक्ति के
वित्तीय लेनदार	लेनदारों की समिति के गठन के
अंतरिम वित्त प्रदाता	अंतरिम वित्त प्रदाता के साथ करार के
भावी समाधान आवेदक	भावी समाधान आवेदक को सूचना ज्ञापन का प्रदाय किए जाने के
यदि उपरोक्त में से किसी के साथ संबंध की जानकारी बाद में मिलती है या उद्भूत होती है	ऐसी जानकारी मिलने या उद्भूत होने के

8ग. कोई दिवाला व्यावसायिक, उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को, जिसका वह सदस्य है, उसके द्वारा नियोजित अन्य व्यावसायिकों के स्वयं के साथ, कारपोरेट ऋणी, वित्तीय लेनदार, अंतरिम वित्त प्रदाता, यदि कोई है, और भावी समाधान आवेदक के साथ संबंध का, यदि कोई है, नीचे विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रकटन सुनिश्चित करेगा:

अन्य व्यावसायिकों का निम्नलिखित के साथ संबंध	**प्रकटन तीन दिन के भीतर किया जाना है**
(1)	(2)
दिवाला व्यावसायिक	अन्य व्यावसायिक की नियुक्ति के
कारपोरेट ऋणी	अन्य व्यावसायिक की नियुक्ति के
वित्तीय लेनदार	लेनदारों की समिति के गठन के
अंतरिम वित्त प्रदाता	अंतरिम वित्त प्रदाता के साथ करार के या अन्य व्यावसायिक की नियुक्ति के तीन दिन, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, के
भावी समाधान आवेदक	भावी समाधान आवेदक को सूचना ज्ञापन का प्रदाय किए जाने के या अन्य व्यावसायिक की नियुक्ति के तीन दिन, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, के
यदि उपरोक्त में से किसी के साथ संबंध की जानकारी बाद में मिलती है या उद्भूत होती है	ऐसी जानकारी मिलने या उद्भूत होने के

स्पष्टीकरण: उपरोक्त खंड 8ख और 8ग के प्रयोजनों के लिए, "संबंध" से, अन्य व्यावसायिकों की नियुक्ति या इसके पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय निम्नलिखित चार प्रकार के संबंधों में से किसी एक या अधिक प्रकार का संबंध अभिप्रेत होगा:

संबंध का प्रकार	**संबंध की प्रकृति**
(1)	(2)
क	जहां, यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अन्य व्यावसायिक ने, किसी वर्ष में अपना 5 प्रतिशत या उसके अधिक सकल राजस्व, संबंधित पक्षकार को दी गई व्यावसायिक सेवाओं से व्युत्पन्न किया है ।
ख	जहां, यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अन्य व्यावसायिक संबंधित पक्षकार का कोई शेयरधारक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या भागीदार है ।
ग	जहां, यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अन्य व्यावसायिक का कोई नातेदार (पति/पत्नी, माता-पिता, पति/पत्नी के माता पिता, अपने या पति/पत्नी के भाई-बहन और संतान) का संबंधित पक्षकार के साथ क या ख प्रकार का संबंध है ।
घ	जहां, यथास्थिति, दिवाला व्यावसायिक या अन्य व्यावसायिक, किसी कंपनी, फर्म या एल.एल.पी., जैसे दिवाला व्यावसायिक संस्था या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, का भागीदार या निदेशक है, वहां ऐसी कंपनी, फर्म या एल.एल.पी. के प्रत्येक भागीदार या निदेशक का संबंधित पक्षकार के साथ क, ख या ग प्रकार का संबंध ।

8घ. कोई दिवाला व्यावसायिक, स्वयं द्वारा और उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यावसायिकों द्वारा समयबद्ध और सही प्रकटन सुनिश्चित करेगा और उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है, इस आशय का पुष्टिकरण प्रदान करेगा कि प्रत्येक अन्य व्यावसायिक की नियुक्ति, यदि कोई है, निर्बंधित संबंधों के आधार पर की गई है ।]

9. कोई दिवाला व्यावसायिक लेनदारों की समिति या ऋणी या अन्य हितधारकों को संहिता के तहत निर्णय या कार्य को प्रभावित नहीं करेगा, ताकि अपने स्वयं के लिए या अपने संबंधित पक्षकारों के किसी अनुचित या गलत लाभ नहीं ले या अनुचित या गलत लाभों के लिए किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए कोई अनुचित वरीयता न हो और किन्हीं गलत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की अवैध या गलत साधनों को नहीं अपनाएगा।

व्यावसायिक सक्षमता

10. किसी दिवाला व्यावसायिक को सक्षम व्यावसायिक सेवा प्रदान करने के लिए उसकी व्यावसायिक जानकारी और कौशलता को बढ़ाना होगा।

सही तथ्यों और गलत फहमियाँ दूर करने का वर्णन

11. किसी दिवाला व्यावसायिक को संहिता के तहत किसी गलतफहमी या गलत प्रतिफल, जिसका उसे पता है, को ऐसे व्यक्तियों को, जैसा कि संहिता के अनुसार जैसा भी आवश्याक हो।

12. किसी दिवाला व्यावसायिक को बोर्ड, निर्णायक प्राधिकारी, या किसी हितधारक, जैसा भी लागू हो, से कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छिपानी चाहिए या उन्हें गलत विवरण देकर भ्रमित नहीं करना चाहिए।

समय-सीमाएं

13. किसी दिवाला व्यावसायिक को दिवाला संकल्प, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, के लिए संहिता और नियमों, विनियमों और उसके तहत दिशा-निदेशों में निर्धारित समय-सीमा का पालन करेगा और अपने कार्यों की ध्यानपूर्वक योजना बनाएगा और अपने कर्तव्यों का समय से निर्वहन करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ यथाशीघ्र संवाद करेगा।

14. कोई दिवाला व्यावसायिक संहिता के तहत अपने कार्यों और कर्तव्यों को करते समय गलत उद्देश्य या लापरवाही से कार्य नहीं करेगा।

सूचना प्रबंधन

15. किसी दिवाला व्यावसायिक को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हितधारकों के साथ सभी संवाद भले ही वे नोटिस, रिपोर्ट, अपडेट, दिशा-निदेश या स्पष्टीकरण

के रूप में हो, अग्रिम और साधारण, स्पष्ट और प्राप्तकर्ताओं द्वारा आसानी से समझे जाने वाले तरीके से किए गए हैं।

[45][15क. कोई दिवाला व्यावसायिक, किसी हितधारक को अपनी समस्त संसूचनाओं में, अपना नाम, पता, ईमेल, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा, जिसका वह सदस्य है, जारी असाइनमेंट के प्राधिकार की विधिमान्यता, यदि कोई है, प्रमुख रूप से कथित करेगा ।]

16. किसी दिवाला व्यावसायिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह लिए गए किसी भी निर्णय, निर्णय लेने के कारण और ऐसे निर्णय के समर्थन में सूचना और साक्ष्यों का समसामयिक लिखित रिकार्ड रखता है। यह उसके निर्णयों और कार्रवाइयों की औचित्य पर विचार करने के लिए किसी तार्किक व्यक्ति को पर्याप्त रूप से सक्षम बनाता है।

17. किसी दिवाला व्यावसायिक किसी हितधारक के साथ जब तक कोई निजी संवाद नहीं करेगा, तबतक कि संहिता, नियमों, विनियमों, उनके तहत दिशा-निदेशों या निर्णायक प्राधिकारी के आदेशों द्वारा यह अपेक्षित नहीं हो।

18. किसी दिवाला व्यावसायिक को बोर्ड, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें वह नामांकित किया गया है, द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण और जांच के लिए उपस्थित होना होगा और सहयोग करना होगा।

19. किसी दिवाला व्यावसायिक को, बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें वह नामांकित किया गया है, के द्वारा अपेक्षित सभी सूचना और रिकार्ड उपलब्ध करवाना होगा।

20. किसी दिवाला व्यावसायिक को बोर्ड द्वारा आयोजित किसी आवधिक अध्ययन, अनुसंधान और लेखा परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा और सूचना उपलब्ध करवानी होगी।

गोपनीयता

21. किसी दिवाला व्यावसायिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिवाला संकल्प प्रक्रिया, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, के संबंध में सूचना की हमेशा

---

[45] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.088, दिनांकित 04-07-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

गोपनीयता रखी गई है। तथापि, इससे संबंधित पक्षों की सहमति या कानून की अपेक्षा पर कोई सूचना उपलब्ध कराने से नहीं रोका जाएगा।

व्यावसाय, रोजगार और प्रतिबंध

22. किसी दिवाला व्यावसायिक को क्षमता से अधिक कार्य लेने से रोकना होगा, यदि वह अपने प्रत्येक कार्य को पर्याप्त समय देने में समर्थ नहीं है।

[46][**स्पष्टीकरण**: किसी दिवाला व्यावसायिक के पास, कारपोरेट समाधान प्रक्रिया में समाधान व्यावसायिक के रूप में किसी भी समय दस नियतकार्यों (असाइनमेंट) से अधिक नहीं हो सकेंगे, जिनमें से तीन से अनधिक नियतकार्यों में, प्रत्येक में एक हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृत दावे होंगे ।]

23. कोई दिवाला व्यावसायिक अन्य कोई रोजगार नहीं करेगा जब तक कि वह दिवाला व्यावसायिक संस्था जिसके साथ वह पंजीकृत है, का सदस्यता प्रमाणपत्र अस्थाई रूप से त्याग नहीं करता।

[47][23. किसी दिवाला व्यावसायिक को, जब वह नियत कार्य के लिए कोई विधिमान्य प्राधिकार धारण करता है या जब वह किसी नियत कार्य को कर रहा है, कोई नियोजन नहीं करना चाहिए।

23क. जहां किसी दिवाला व्यावसायिक ने किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन किया है वहां वह और उसके नातेदार, ऐसे किसी लेनदार, जिसकी मतदान शक्ति दस प्रतिशत से अधिक है, सफल समाधान आवेदक, कारपोरेट ऋणी या उनसे संबद्ध किसी पक्षकार को, संहिता के अधीन दी जाने वाली सेवाओं से भिन्न कोई व्यावसायिक सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे या खुली प्रतियोगिता भर्ती के माध्यम से प्राप्त नियोजन से भिन्न कोई नियोजन तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक ऐसी प्रक्रिया से उसके विराम की तारीख से एक वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो ।

23ख. कोई दिवाला व्यावसायिक, अपने किसी नियत कार्य से संबंधित किसी कार्य के लिए या उसके संबंध में अपने किसी नातेदार या संबद्ध पक्षकार को नहीं लगाएगा या नियुक्त करेगा ।

23ग. कोई दिवाला व्यावसायिक, ऐसे किसी नियत कार्य के लिए या उसके संबंध में, जो उसके किसी नातेदार या संबद्ध पक्षकार द्वारा किया जा रहा है, कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराएगा ।

---

[46] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.077, दिनांकित 22-07-2021 द्वारा अंतःस्थापित ।

[47] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, दिनांकित 23-07-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

स्पष्टीकरण - खंड 23क से 23ग के प्रयोजनार्थ, "संबद्ध पक्षकार" का वहीं अर्थ होगा जो धारा 5 के खंड (24क) में उसका है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था नहीं आती है, जिसका दिवाला व्यावसायिक एक भागीदार या निदेशक है ।]

24. कोई दिवाला व्यावसायिक ऐसा व्यापार नहीं करेगा जो बोर्ड के अनुसार व्यावसय की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है।

पारिश्रमिक एवं लागत

25. किसी दिवाला व्यावसायिक पारिश्रमिक के लिए सेवा प्रदान करेगा, जो कि पारदर्शिता से वसूल किया जाए तथा कार्य को आवश्यक रूप से और उचित रूप से करने को दर्शाता है और लागू विनियमों के अनुरूप है।

[48][25क. दिवाला व्यावसायिक उसे संदेय फीस, दिवाला व्यावसायिक संस्था को संदेय फीस और उसके द्वारा नियोजित व्यावसायिकों को संदेय फीस का प्रकटीकरण उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को करेगा, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है और वह एजेंसी ऐसे प्रकटन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी ।**]**

[49][25ख. कोई दिवाला व्यावसायिक, अपनी फीस के मद्धे बिल या बीजक अपने नाम में तैयार करेगा और उसे ऐसी फीस का संदाय बैंकिंग चैनल द्वारा किया जाएगा ।

25ग. कोई दिवाला व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि दिवाला व्यावसायिक संस्था या उसके द्वारा नियोजित व्यावसायिक, अपनी फीस मद्धे बिल या बीजक स्वयं अपने नाम में तैयार करते हैं और उन्हें ऐसी फीस का संदाय बैंकिंग चैनल द्वारा किया जाएगा ।]

26. कोई दिवाला व्यावसायिक अपने पारिश्रमिक निर्धारित करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित और प्रकटित हो, के अलावा कोई शुल्क और प्रभार स्वीकार नहीं करेगा।

[50][26क. कोई भी दिवाला व्यावसायिक प्रक्रिया के दौरान नियुक्त हुए किसी भी व्यावसायिक और/या सहायता सेवा प्रदाता से किसी तरह की फीस या चार्ज स्वीकार/साझा नहीं करेगा।]

---

[48] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, दिनांकित 27-03-2018 द्वारा अंतःस्थापित ।

[49] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.088, दिनांकित 04-07-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

[50] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.092, दिनांकित 13-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

27. एक दिवाला व्यावसायिक दिवाला संकल्प प्रक्रिया लागत, समापन लागत या शोधन अक्षमता प्रक्रिया लागत में होने वाली सभी लागतों का प्रकटीकरण करेगा, जैसा कि सभी प्रासंगिक हितबद्धों पर लागू है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ये लागत अनुचित नहीं है।

[51][27क. कोई दिवाला व्यावसायिक, असाइनमेंट पर कार्य करते समय या प्रक्रियाओं का संचालन करते समय, युक्तियुक्त सावधानी और तत्परता का बरतेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएगा कि कारपोरेट व्यक्ति लागू विधियों का अनुपालन करता है ।

27ख. कोई दिवाला व्यावसायिक, संहिता के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया, फॉस्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया, समापन प्रक्रिया या स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया का संचालन करते समय कारपोरेट व्यक्ति पर लागू विधियों के किसी उपबंध के अननुपालन के कारण उपगत दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत या परिसमापन लागत में किसी हानि मद्धे, जिसके अंतर्गत शास्ति, यदि कोई है, भी है, कोई रकम सम्मिलित नहीं करेगा ।]

उपहार और आतिथ्य सत्कार

28. एक व्यावसायिक या उसके संबंधियों को ऐसे भेंट या आतिथ्य सत्कार ग्रहण नही करना चाहिए जो एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में उसकी स्वतंत्रता नष्ट करे या उसे प्रभावित करें।

29. एक दिवाला व्यावसायिक को अपने व्यवसाय से संबंधित किसी कार्य को प्राप्त करने या व्यवसाय जारी रखने के लिए अथवा अपने व्यवसाय को रखने या जारी रखने में किसी अनधिकृत फायदे के लिए, किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार के उपहार या अतिथ्य सत्कार प्रदान नहीं करेगा।

---

[51] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.088, दिनांकित 04-07-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

द्‌वितीय अनुसूची

[52][प्ररूप क

[*भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 6 के अधीन*]

कृपया हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक (आई.पी. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.)

विषय: दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

महोदय/महोदया,

मैं, (*दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम*) में (*व्यावसायिक सदस्यता संख्यांक*) के साथ (*नामांकन की तारीख*) को (*व्यावसायिक सदस्यता संख्यांक*) के साथ व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित होने के कारण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 207 के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं । मेरा ब्यौरा निम्नलिखित रूप में है:

क. वैयक्तिक ब्यौरा

1. उपाधि (श्री/श्रीमती/सुश्री/अन्य):
2. नाम (पैन/आधार के अनुसार) :
3. पिता का नाम:
4. माता का नाम:
5. जन्म की तारीख:
6. जन्म-स्थान:
7. पैन:
8. आधार सं. (यदि उपलब्ध है) :
9. पासपोर्ट संख्यांक (यदि उपलब्ध है) :
10. जी.एस.टी.आई.एन. (यदि उपलब्ध है) :
11. डी.आई.एन./डी.पी.आई.एन.(यदि उपलब्ध है) :
12. पत्र-व्यवहार के लिए पता (नोट: यह रजिस्ट्रीकृत पते के रूप में अभिलिखित किया जाएगा):
13. स्थायी पता:
14. ईमेल पता: (नोट: यह रजिस्ट्रीकृत ईमेल पते के रूप में अभिलिखित किया जाएगा):
15. मोबाइल नं. : (नोट: यह रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नं. के रूप में अभिलिखित किया जाएगा):

[52] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, दिनांकित 25-10-2019 द्‌वारा प्रतिस्थापित ।

16. आवासीय प्रास्थिति : भारत में निवासी व्यक्ति/भारत से बाहर निवासी व्यक्ति(जो लागू न हो उसे काट दें) [दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(24) या धारा 3(25) के निबंधनानुसार] :

ख. अर्हताएं: शैक्षिक, व्यावसायिक, दिवाला परीक्षा और रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रम

(i) शैक्षिक अर्हताएं

[कृपया बैचलर डिग्री से आगे शैक्षिक अर्हताओं का ब्यौरा दें]

क्रम सं.	शैक्षिक अर्हता	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक (%)	श्रेणी/वर्ग	टिप्पणी, यदि कोई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(ii) व्यावसायिक अर्हताएं [दिवाला व्यावसायिक विनियमों के विनियम 5(ग)(iv) के निबंधनानुसार]

क्रम सं.	व्यावसायिक अर्हता	संस्थान/व्यावसायिक निकाय	सदस्यता सं./ नामांकन सं.(जो भी लागू हो)	रजिस्ट्रीकरण/नामांकन की तारीख	टिप्पणी, यदि कोई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(iii) दिवाला परीक्षा

क्रम सं.	परीक्षा/कार्यक्रम का नाम	उत्तीर्ण अथवा नहीं?(हां/नहीं)	संस्थान/संगठन का नाम	अंक(%)/ श्रेणी/वर्ग	उत्तीर्ण करने की तारीख	टिप्पणी, यदि कोई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सीमित दिवाला परीक्षा		आई.बी.बी.आई			
2.	स्नातक दिवाला कार्यक्रम					
3.	राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम					

(iv) रजिस्ट्रीकरण पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रम:

क्या आपने रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है? (हां/नहीं)

यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करने की तारीख:(दिन/मास/वर्ष)

(v) क्या आप रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक हैं? (हां/नहीं)

यदि हां, तो -

(क) आई.बी.बी.आई. रजिस्ट्रीकरण सं.__________

(ख) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन (आर.वी.ओ.) का नाम____________और,

(ग) आर.वी.ओ. नामांकन सं.__________

ग. कार्य अनुभव

(i) क्या आप वर्तमान में प्रैक्टिस/नियोजन में हैं? (प्रैक्टिस/नियोजन)

(ii) प्रैक्टिस की कुल अवधि (वर्ष और पूर्ण मास में): वर्ष/मास

(iii) नियोजन की कुल अवधि (वर्ष और पूर्ण मास में): वर्ष/मास

(iv) अनुभव का ब्यौरा (बैचलर डिग्री के पश्चात् अधिवक्ता/चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार के रूप में नामांकन की तारीख से)

क्रम सं.	तारीख (दिन/मास/वर्ष) से	तारीख (दिन/मास /वर्ष) तक	नियोजन		प्रैक्टिस		कार्य का क्षेत्र
			नियोजक का नाम और पता	पदनाम	अधिवक्ता/सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए.	फर्म का नाम और फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, यदि लागू हो	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

घ. अतिरिक्त जानकारी

1. क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है? (हां/नहीं)
   यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।
2. क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित हैं? (हां/नहीं)
   यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।
3. क्या आपको कभी शोधन अक्षम न्यायनिर्णीत किया गया है? (हां/नहीं)

यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।

4. क्या आपके विरुद्ध आई.सी.ए.आई., आई.सी.एस.आई., आई.सी.ए.आई.(लागत) विधिज्ञ परिषद् या आर.वी.ओ. की कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हैं या पिछले तीन वर्षों में किसी समय आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है? (हां/नहीं)

यदि हां, तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें ।

5. कृपया कोई अतिरिक्त जानकारी दें, जो इस बात का अवधारण करने के लिए सुसंगत है कि क्या आप उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं ।

पुष्टीकरण

मैं यह प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 207 के साथ पठित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए पात्र हूं ।

2. मैं यह प्रतिज्ञान करता हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ।

3. मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, उसके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें मैं नामांकित हूं, उपविधियों और बोर्ड तथा ऐसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के शासी बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने और ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी, जो कि बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा जब भी मांगी जाए प्रस्तुत करने का वचन देता हूं ।

आवेदक का नाम और उसके हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

संलग्नक

1. आवासीय सबूत की प्रति
2. पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट की प्रति
3. जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
4. डी.आई.एन./डी.पी.आई.एन. आबंटन पत्र की प्रति
5. शैक्षिक अर्हता, व्यावसायिक अर्हता और दिवाला परीक्षा अर्हता और रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करने के समर्थन में दस्तावेज़ों की प्रतियां
6. निम्नलिखित रूप में व्यवसाय प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज़ों की प्रतियां -
    - (i) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में रजिस्ट्रीकृत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट;
    - (ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी सचिव;
    - (iii) भारतीय लागत अकाउंटेंट संस्थान में रजिस्ट्रीकृत एक लागत अकाउंटेंट; या
    - (iv) विधिज्ञ परिषद् में नामांकित एक अधिवक्ता
7. नियोजक (नियोजकों) से नियोजन प्रमाणपत्र की प्रतियां, जिनमें ऐसे नियोजन की अवधि विनिर्दिष्ट हो
8. पिछले तीन वर्षों की वित्तीय विवरणियां/आय-कर विवरणियां
9. किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में व्यावसायिक सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति

10. आई.पी. विनियमों के विनियम 6(1) के अधीन यथापेक्षित जी.एस.टी. सहित फीस जमा/संदत्त करने का साक्ष्य

11. दोषसिद्धि, आपराधिक कार्यवाहियों, दिवाला/शोधन अक्षमता आदेश, अनुशासनिक कार्यवाहियों/कार्रवाइयों की बाबत जानकारी और आवेदन के लिए सुसंगत कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी, जो लागू हो (जिसके अंतर्गत संक्षिप्त तथ्य, सुसंगत आदेशों की प्रति और उसकी वर्तमान स्थिति भी है) के पृथक् सलग्नकों के रूप में ब्यौरे ।

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा सत्यापन

हमने निम्न प्रकार सत्यापित किया है:

क्रम सं.	सत्यापन	निष्कर्ष
1	क्या व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध आई.सी.ए.आई., आई.सी.एस.आई., आई.सी.ए.आई.(लागत) विधिज्ञ परिषद् या आर.वी.ओ. की, जिसका वह सदस्य है, कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है या पिछले तीन वर्षों में किसी समय उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें ।
2	क्या आई.सी.ए.आई., आई.सी.ए.आई. (लागत), आई.सी.एस.आई., विधिज्ञ परिषद् या आर.वी.ओ. ने व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही आरंभ की है और वह निपटारे के लिए लंबित है ?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें ।
3	क्या व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें ।
4	क्या व्यावसायिक सदस्य का पिछले नियोजक के पास सेवा अभिलेख, यदि वह नियोजन में था, बेदाग रहा था?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें ।
5	क्या व्यावसायिक सदस्य का नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय के डाटाबेस में निम्नलिखित के संबंध में प्रकट होता है: (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अधीन	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा दें और अतिरिक्त कागज़पत्र संलग्न

	निरर्हित निदेशक; या (ii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अधीन उद्घोषित अपराधी?	करें ।
6	क्या व्यावसायिक सदस्य को सेबी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में दंडित किया गया है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें ।
7	क्या व्यावसायिक सदस्य का नाम भारतीय रिजर्व बैंक/उधार की जानकारी देने वाली कंपनी के व्यतिक्रमियों की सूची में प्रकट होता है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें ।
8	क्या व्यावसायिक सदस्य को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है?	हां/नहीं यदि हां, तो ब्यौरा और समर्थनकारी दस्तावेज़ दें ।

हमने (*आवेदक का नाम*) द्वारा, जो (*सदस्यता सं.*) वाला हमारा व्यावसायिक सदस्य है, प्रस्तुत किए गए ब्यौरों को सत्यापित किया है और यह पुष्टि करते हैं कि वे हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं । हम (*आवेदक का नाम*) के आई.बी.बी.आई. में दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की सिफारिश करते हैं ।

(नाम और हस्ताक्षर)

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का प्राधिकृत अधिकारी

(दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की मोहर)

स्थान:

तारीख:uu..]

द्वितीय अनुसूची

प्रारूप खभारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

पंजीकरण प्रमाणपत्र

आईपी पंजीकरण सं.

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 7 के अन्तर्गत]

1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में बोर्ड पंजीकरण प्रमाणपत्र [नाम लिखें] को इन विनियमनों के अनुसार दिवाला व्यावसायिक के रूप में कार्य करने हेतु प्रदान करता है।

2. यह प्रमाणपत्र [तारीख लिखें] से वैध होगा।

ह./-

(नाम एवं पदनाम)

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

स्थान :

तारीख :

द्वितीय अनुसूची

[53][प्रारूप ग

[*भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अधीन*]

सेवा में,
कार्यपालक निदेशक (आई.पी.ई. प्रभाग)
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.)

विषय: दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता के लिए आवेदन ।

महोदय/महोदया,

मैं, इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत होने के कारण, (*आवेदक संस्था का नाम*) की ओर से, जिसका रजिस्ट्रीकृत पता (*आवेदक का रजिस्ट्रीकृत पता*) है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के उप-विनियम (2) के अधीन दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन करता हूं। आवेदक और उसके निदेशकों/भागीदारों के ब्यौरे निम्नलिखित रूप में हैं:-

क. आवेदक के ब्यौरे

1. नाम:
2. पता:
   i. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय:
   ii. कारबार, यदि कोई है, का/के प्रमुख स्थान (स्थानों):
   iii. आवेदक के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए पता:
   iv. आवेदक के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए ईमेल पता:
   v. आवेदक के साथ संपर्क के लिए टेलीफोन नं.:
3. गठन की प्रकृति: कंपनी/सीमित दायित्व भागीदारी/रजिस्ट्रीकृत भागीदारी(जो लागू न हो उसे काट दें)
4. कारपोरेट पहचान संख्यांक(सी.आई.एन.)/एल.एल.पी. पहचान सख्यांक (एल.एल.पी.आई.एन.)/ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र:
5. पैन:
6. जी.एस.टी.आई.एन. (यदि उपलब्ध हो):

[53] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, दिनांकित 25-10-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

7. यह आवेदन करने और आवेदक की ओर से बोर्ड के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क ब्यौरे:

i नाम:

ii. पदनाम:

iii. पत्र-व्यवहार के लिए पता:

iv. मोबाइल नं./लैंडलाइन नं.:

v. ईमेल पता:

ख. आवेदन की तारीख को आवेदक के निदेशकों/भागीदारों के ब्यौरे

क्रम संख्या	निदेशक/भागीदार का नाम	निदेशक/भागीदार का पता	डी.आई.एन./ डी.पी. आई.एन. (यदि उपलब्ध हो)	पैन	दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण सं.	व्यावसायिक सदस्यता सं. (यदि लागू हो)	शेयरों/ पूंजी अंशदान में शेयर प्रतिशत	क्या पूर्णकालिक निदेशक है? (हाँ/नही)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**

ग. पात्रता [*आई.पी. विनियमों के विनियम 12(1) के निबंधनानुसार*]

1. आवेदक के गठन संबंधी दस्तावेज़ के अनुसार उसका एकमात्र उद्देश्य [*एकमात्र उद्देश्य का वर्णन*]:

2. आवेदक का............ को यथा-विद्यमान शुद्ध मूल्य (तारीख आवेदन की तारीख से 90 दिन से अधिक पूर्व की नहीं होनी चाहिए)

(i) रकम:

(ii) शुद्ध मूल्य की तारीख:

(iii) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए शुद्ध मूल्य प्रमाणपत्र का विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्यांक:

(iv) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए शुद्ध मूल्य प्रमाणपत्र की तारीख:

3. आवेदक में शेयरधारिता या भागीदार के अंशदान के ब्यौरे:

(i) भागीदारी की दशा में

क्रम सं.	भागीदार का नाम	पूंजी अंशदान की रकम (रूपए)	कुल पूंजी अंशदान में प्रतिशत अंश	क्या भागीदार एक दिवाला व्यावसायिक है (हां/नहीं)	दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण सं.,यदि लागू हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ii) कंपनी की दशा में

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों का संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत	क्या शेयरधारक एक निदेशक है (हां/नहीं)	क्या शेयरधारक एक दिवाला व्यावसायिक है (हां/नहीं)	दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण सं.,यदि लागू हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

5. क्या आवेदक की दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में इससे पूर्व किसी समय मान्यता रद्द की गई थी? (हां/नहीं)

यदि हां, कृपया मान्यता प्रदान करने की तारीख और मान्यता रद्द करने का आधार प्रस्तुत करें ।

6. क्या बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा किसी ऐसे निदेशक/भागीदार के विरुद्ध, जो दिवाला व्यावसायिक हैं, कोई अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई ? (हां/नहीं) यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें ।

पुष्टिकरण

मैं, (*आवेदक संस्था का नाम*) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि -

(i) आवेदक दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने का पात्र है ।

(ii) आवेदक का कोई भी, यथास्थिति, भागीदार/निदेशक किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक संस्था का निदेशक या भागीदार नहीं है ।

2. मैं, यह प्रतिज्ञान करता हूं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ।

3. मैं, (*आवेदक संस्था का नाम*) की ओर से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 उसके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों और परिपत्रों की अपेक्षाओं और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का, जो बोर्ड द्वारा मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करते समय अधिरोपित की जाएं, पालन करने का वचन देता हूं ।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

स्थान:

तारीख:

संलग्नक

1. बोर्ड/भागीदारों के उस संकल्प की प्रति, जिसके द्वारा व्यक्ति को यह आवेदन करने और बोर्ड से पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ।
2. आवेदक के सी.आई.एन./एल.एल.पी.आई.एन./रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
3. आवेदक के पैन की प्रति
4. आवेदक के जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
5. आवेदक के संगम ज्ञापन/एल.एल.पी. करार/रजिस्ट्रीकृत भागीदारी विलेख की प्रति
6. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए शुद्ध मूल्य प्रमाणपत्र की प्रति, यदि कोई है
7. आवेदक की वित्तीय विवरणियों की प्रति(जिसके अंतर्गत उसी तारीख को, जिसको आवेदक का शुद्ध मूल्य प्रस्तुत किया गया है, अनंतिम वित्तीय विवरणी भी है)
8. बोर्ड द्वारा उन दिवाला व्यावसायिकों को, जो आवेदक के, यथास्थिति, निदेशक या भागीदार हैं, जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
9. आई.पी. विनियमों के विनियम 12(2) के अधीन यथापेक्षित जी.एस.टी सहित फीस जमा/संदत्त करने का साक्ष्य" ।

द्वितीय अनुसूची

प्रारूप घ

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड मान्यता प्रमाण पत्र

दिवाला व्यावसायिक निकाय मान्यता संख्या

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यवसायी) विनियम, 2016]

1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यवसायी) विनियम, 2016 के विनियम 13 के द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में बोर्ड प्रमाण पत्र [नाम लिखें] को दिवाला व्यावसायिक निकाय, के रूप में मान्यता प्रदान करता है

2. यह मान्यता प्रमाण पत्र [शुरुआत तारीख अन्तस्थापित करें] से वैध होगा

ह./-
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम)
(पदनाम)

स्थान:
तारीख:

[54][प्ररूप ङ

[भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 7(2)(गक) के अधीन]

सेवा में,

महाप्रबंधक (आई.पी. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: दिवाला व्यावसायिक की व्यावसायिक फीस की वार्षिक विवरणी ।

महोदय/महोदया,

1. मैं...............(नाम अंतःस्थापित करें) दिवाला व्यावसायिक के रूप में अपनी सेवाओं से वित्तीय वर्ष............(वित्तीय वर्ष अंतःस्थापित करें) में अर्जित (चाहे प्राप्त की गई हो या नहीं) व्यावसायिक फीस की निम्नलिखित रूप में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करता हूं :

क्रम सं.	ऋणी का नाम	(अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक/समापक/न्यासी/अन्य, यदि कोई है)) के रूप में प्रदान की गई सेवाएं	वर्ष के लिए दिवाला व्यावसायिक के रूप में व्यावसायिक फीस(रूपयों में)

[54] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, दिनांकित 11-10-2018 द्‌वारा अंतःस्थापित ।

1			
2			
3			
कुल			

2. निम्नलिखित रकमें बोर्ड को संदेय हैं:

क्रम सं.	किस विनियम के अधीन	संदेय रकम (रुपयों में)
1.	विनियम 7(2)(गक)	
2.	विनियम 15, ... से .... तक ब्याज के रूप में	
कुल		

3. ऊपर पैरा 2 में निकाली गई .... रुपए की धनराशि बोर्ड के खाते में.................. द्वारा जमा करा दी गई है ।

4. मैं.............(नाम अंतःस्थापित करें) यह प्रतिज्ञान करता हूं कि -

i. इस विवरणी में अंतर्विष्ट सभी जानकारी समस्त तात्विक दृष्टि से सत्य और सही है और

ii. इस विवरणी के प्रयोजनार्थ सुसंगत किसी भी तात्विक जानकारी को छिपाया नहीं किया गया है ।

भवदीय

स्थान:

(नाम)

तारीख:

(रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)]

[55][प्ररूप ङक

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 7(2)(गख) के अधीन]

सेवा में,

[55] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

महाप्रबंधक (आई.पी. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषयः फीस की विवरणी

महोदय/महोदया

1. मैं ....(*नाम अंतःस्थापित करें*) कारपोरेट ऋणी-वार फीस का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करता हूं:-

(क) कारपोरेट ऋणी का नाम..........................

(ख) कारपोरेट ऋणी का कारपोरेट पहचान संख्यांक/एल.एल.पी.आई.एन...........

(ग) ....(*ब्यौरे अंतःस्थापित करें*) को समाप्त तिमाही या प्रक्रिया बन्द होने की तारीख (तारीख अंतःस्थापित करें) के लिए

क्रम सं.	आई.आर.पी./ आर.पी. की हैसियत में प्रदान की गई सेवाएं	उपगत व्यय के ब्यौरै (आदाता का नाम और सेवा की प्रकृति)	व्यय के मद्धे संदत्त रकम (रूपए)
1			
2			
3			
..			
कुल			

(*टिप्पण - प्रत्येक कारपोरेट ऋणी के लिए पृथक् सारणी अंतःस्थापित की जाए*)

2. निम्नलिखित रकमें बोर्ड को संदेय हैं:

क्रम सं.	किस विनियम के अधीन	संदेय रकम (रुपए)
1	विनियम 7(2)(गख)	
2	विनियम 15 के अधीन, जो कि........से......तक का ब्याज है	
कुल		

3. ऊपर पैरा 2 में निकाली गई ....रुपए की धनराशि बोर्ड के खाते में ....द्वारा जमा करा दी गई है ।

4. मैं........(नाम अंतःस्थापित करें) एतदद्वारा प्रतिज्ञान करता हूं कि -

(i) इस विवरणी में अंतर्विष्ट सभी जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है, और

(ii) इस विवरणी के प्रयोजनार्थ सुसंगत कोई भी तात्विक जानकारी छिपाई नहीं गई है।

(iii) मैं.....(*नाम अंतःस्थापित करें*) ....(*दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम अंतःस्थापित करें*) दिवाला व्यावसायिक संस्था की ओर से यह प्ररूप प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूं ।

भवदीय,

(आई.पी./आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकृत आई.पी.ई.

स्थान: के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

तारीख: (आई.पी. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)]

[56][प्ररूप च

[*भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13(2)(ख) और विनियम 13(2)(ग) के अधीन*]

सेवा में,
कार्यपालक निदेशक (आई.पी.ई. प्रभाग)
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था में निदेशक/भागीदार न रहने/शामिल होने की जानकारी ।

महोदय/महोदया,

मैं, (*नाम अंतःस्थापित करें*), जो कि इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूं, दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13 के उप-विनियम (2)(ख) और/या उप-विनियम (2)(ग) के अनुपालन में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूं :

क. आई. पी. ई. के ब्यौरे

(क) आई.पी.ई. का नाम:
(ख) बोर्ड द्वारा मान्यता देने की तारीख:
(ग) मान्यता संख्यांक:
(घ) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल पता:
(ङ) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम:

ख. उस निदेशक/भागीदार के ब्यौरे, जो आई.पी.ई. का भागीदार/निदेशक नहीं रहा है

---

[56] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, दिनांकित 25-10-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

विवरण	विशिष्टियां
निदेशक/भागीदार के ब्यौरे (क) नाम (ख) आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकरण सं.(यदि लागू हो) (ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख(यदि लागू हो) (घ) बोर्ड के पास आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकृत ईमेल पता (यदि लागू हो)	
भागीदार/निदेशक न रहने के ब्यौरे (क) निदेशक/भागीदार के रूप में न रहने की तारीख (ख) क्या पूर्णकालिक निदेशक नहीं रहा है? (ग) निदेशक/भागीदार न रहने का कारण (त्यागपत्र/हटाया जाना/कोई अन्य) (घ) संबंधित प्राधिकारी के पास निदेशक/भागीदार न रहने की सूचना फाइल करने की तारीख	

ग. उस निदेशक/भागीदार के ब्यौरे, जो आई.पी.ई. में शामिल हुआ है

विवरण	विशिष्टियां
निदेशक/भागीदार के ब्यौरे (क) नाम (ख) आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकरण सं. (यदि लागू हो) (ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख(यदि लागू हो) (घ) बोर्ड के पास आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकृत ईमेल पता (यदि लागू हो)	
भागीदार/निदेशक के रूप में शामिल होने के ब्यौरे (क) निदेशक/भागीदार के रूप में शामिल होने की तारीख (ख) क्या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं (ग) संबंधित प्राधिकारी के पास निदेशक/भागीदार के रूप में शामिल होने की सूचना फाइल करने की तारीख	

घ. निदेशक/भागीदार न रहने/शामिल होने के पूर्व और पश्चात् आई.पी.ई. के बोर्ड/भागीदारी की संरचना

	संरचना (निदेशक/भागीदार न रहने के पूर्व/ शामिल)	संरचना (निदेशक/भागीदार न रहने के पश्चात्/ शामिल)

क्रम सं.	निदेशक/ भागीदार का नाम	पदनाम (यथास्थिति, पूर्णकालिक निदेशक/ निदेशक/ भागीदार)	आई.पी. के रूप में हैसियत		यथास्थिति, निदेशक /भागीदार का नाम	पदनाम (यथास्थिति,पूर्ण कालिक निदेशक/निदेशक /भागीदार)	आई.पी. के रूप में हैसियत	
			हां/ नहीं	यदि हां, तो आई.पी. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक			हां/ नहीं	यदि हां,तो आई. पी.रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

पुष्टीकरण

मैं, (*आई.पी.ई. का नाम*) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि -

(i) मैं उपर्युक्त जानकारी आई.पी.ई. के, यथास्थिति, निदेशक/भागीदार न रहने या शामिल होने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत कर रहा हूं;

(ii) आई.पी.ई. का कोई, यथास्थिति निदेशक या भागीदार किसी अन्य आई. पी.ई.का भागीदार या निदेशक नहीं है; और

2. मैं (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) की ओर से यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप में अंतर्विष्ट समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनसार पूर्ण और सही है ।

भवदीय
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम)
(पदनाम)

स्थान:
(आई.पी.ई. का नाम)
तारीख: (आई.पी.ई. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)

संलग्नक

1. आई.पी.ई. के निदेशक/भागीदार के रूप में न रहने/शामिल होने वाले निदेशक/भागीदार का प्रतिज्ञान (उपाबंध I/II में)

2. यथास्थिति, विनियम 13(2)(ख), विनियम 13(2)(ग) और विनियम 15 की अपेक्षानुसार जी.एस.टी सहित फीस जमा/संदत्त करने का साक्ष्य (कृपया नोट करें कि प्रत्येक निदेशक/भागीदार के न रहने/शामिल होने की बाबत यथालागू जी.एस.टी. सहित दो हजार रुपए की फीस संदेय है) ।

प्ररूप च का उपाबंध I

[*भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13(2)(ख) और विनियम 13(2)(ग) के अधीन*]

सेवा में,
कार्यपालक निदेशक (आई.पी.ई. प्रभाग)
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: (आई.पी.ई. का नाम) का निदेशक/भागीदार न रहने पर घोषणा ।

महोदय/महोदया,

मैं...................(नाम) यह प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं ....(आई.पी.ई. का नाम) का..........(दिन-मास-वर्ष) से निदेशक/भागीदार नहीं रहा हूं, जिसका आई.पी.ई. मान्यता संख्यांक........... है । तथापि, मैं आई.पी.ई. द्वारा उस समय किए गए प्रत्येक लोप या कार्य के लिए उत्तरदायी रहूंगा जब मैं उसका निदेशक/भागीदार था ।

भवदीय

(पूर्व-निदेशक/पूर्व-भागीदार का नाम)

प्ररूप च का उपाबंध II

[*भारतीय दिवाला और शोधन-अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13(2)(ख) और विनियम 13(2)(ग) के अधीन*]

सेवा में,
कार्यपालक निदेशक (आई.पी.ई. प्रभाग)
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: (आई.पी.ई. का नाम) के निदेशक/भागीदार के रूप में शामिल होने पर शपथपत्र ।

महोदय/महोदया,

मैं...................(नाम) यह प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं ....(आई.पी.ई. का नाम) में..........(दिन-मास-वर्ष) से निदेशक/भागीदार के रूप में शामिल हो गया हूं, जिसका आई.पी.ई. मान्यता संख्यांक........... है ।

मैं किसी अन्य आई.पी.ई. में निदेशक/भागीदार नहीं हूं ।

भवदीय

(निदेशक/भागीदार का नाम)"।

[57][प्ररूप छ

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 7(2)(गक) और विनियम 13(2)(गक) के अधीन]

सेवा में,

महाप्रबंधक (आई.पी. प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषयः दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की वार्षिक विवरणी

महोदय/महोदया

भाग क - विनियम 7(2)(गक) के अधीन सेवाओं के लिए

1. मैं ....(*नाम अंतःस्थापित करें*) जिसे इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है ....(*वित्तीय वर्ष अंतःस्थापित करें*) वित्तीय वर्ष में.............(*दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम अंतःस्थापित करें*) दिवाला व्यावसायिक संस्था की ओर से निम्नलिखित रूप में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करता हूं:-

क्रम सं.	कारपोरेट ऋणी/ प्रत्याभूतिदाता का नाम	कारपोरेट ऋणी का कारपोरेट पहचान संख्यांक/एल.एल.पी. आई. एन./ प्रत्याभूतिदाता का पहचान संख्यांक	किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में आई.आर.पी./आर.पी./ कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्राधिकृत प्रतिनिधि/ परिसमापक/व्यष्टियों के लिए दिवाला समाधान में आर.पी./ शोधन अक्षमता न्यासी/अन्य, यदि कोई है के रूप में प्रदान की गई सेवाएं	वर्ष में प्रदान की गई सेवाओं मद्धे रकम (रुपयों में)
1				
2				
3				
..				

[57] अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097, दिनांकित 20-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कुल				

भाग ख - विनियम 13(2)(गक) के अधीन सेवाओं के लिए

2. मैं ....(*नाम अंतःस्थापित करें*) जिसे इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है ....(*वित्तीय वर्ष अंतःस्थापित करें*) वित्तीय वर्ष में.................(*दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम अंतःस्थापित करें*) दिवाला व्यावसायिक संस्था की और से फीस की वार्णिक विवरणी निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करता हूं:-

क्रम सं.	कारपोरेट ऋणी/ प्रत्याभूति दाता का नाम	कारपोरेट ऋणी का कारपोरेट पहचान संख्यांक/ एल.एल.पी.आई.एन./ प्रत्याभूतिदाता का पहचान संख्यांक	उस आई. पी. का नाम जिसने आई. आर.पी./आर.पी./ परिसमापक/ शोधन अक्षमता न्यासी/अन्य, यदि कोई है, के रूप में सेवा प्रदान की है	प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार का संक्षिप्त विवरण	वर्ष में प्रदान की गई सेवाओं मद्धे रकम (रुपयों में)
1					
2					
3					
..					
कुल					

3. निम्नलिखित रकमें बोर्ड को संदेय हें:

क्रम सं.	किस विनियम के अधीन	संदेय रकम (रुपए)
1	विनियम 7(2)(गक)	
2	विनियम 13(2)(गक)	
3	विनियम 15 के अधीन, जो कि........से......तक का ब्याज है	
कुल		

4. ऊपर पैरा 3 में निकाली गई ....रुपए की धनराशि बोर्ड के खाते में ....द्वारा जमा करा दी गई है ।

5. मैं........(*नाम अंतःस्थापित करें*) एतदद्वारा प्रतिज्ञान करता हूं कि -

(i) इस विवरणी में अंतर्विष्ट सभी जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है, और

(ii) इस विवरणी के प्रयोजनार्थ सुसंगत कोई भी तात्विक जानकारी छिपाई नहीं गई है।

(iii) मैं.....(*नाम अंतःस्थापित करें*) ....(*दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम अंतःस्थापित करें*) दिवाला व्यावसायिक संस्था की ओर से यह प्ररूप प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूं ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम)
(पदनाम)
(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम.......)
(दिवाला व्यावसायिक संस्था का मान्यता संख्यांक......)
(दिवाला व्यावसायिक संस्था का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक......)

स्थान:
तारीख:]

[58][प्ररूप ज

[*भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13(2) के अधीन*]

सेवा में,
कार्यपालन निदेशक (आई.पी.ई. प्रभाग)
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13 के उप-विनियम 2(गख) के अधीन अनुपालन प्रमाणपत्र ।

महोदय/महोदया

1. मैं(*प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम*), जो कि (*दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम*) की ओर से, जिसका (*दिवाला व्यावसायिक संस्था का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक*) है, इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत होने के कारण यह प्रतिज्ञान करता हूं कि दिवाला व्यावसायिक संस्था ने वित्तीय वर्ष....... के दौरान -

(क) हमेशा दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के उप-विनियम (1) के खंड (क) से खंड (छ) तक का अनुपालन किया है; और

(ख) दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 13 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से खंड (गक) तक का अनुपालन किया है

[58] अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, दिनांकित 25-10-2019 द्वारा अंतःस्थापित ।

2. मैं(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) की ओर से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूं, जिससे निम्नलिखित के संबंध में 31 मार्च__(वर्ष) को यथा-विद्यमान प्रास्थिति प्रदर्शित होती है:-

(i) आई.पी.ई. के कारबार का एकमात्र उद्देश्य/स्वरूप: [*एकमात्र उद्देश्य का वर्णन*]

(ii) आई.पी.ई. का शुद्ध मूल्य:

(iii) निदेशक/भागीदार:

क्रम संख्या	निदेशक/भागीदार का नाम	निदेशक/भागीदार का पता	डी.आई.एन./ डी.पी. आई.एन. (यदि उपलब्ध हो)	पैन	दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण सं.	व्यावसायिक सदस्यता सं. (यदि लागू हो)	शेयरों/ पूंजी अंशदान में शेयर प्रतिशत	क्या पूर्णकालिक निदेशक है? (हाँ/नही)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**

(iv) कोई भी, यथास्थिति, निदेशक/भागीदार किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक संस्था का भागीदार या निदेशक नहीं है ।

3. मैं, (*दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम*) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि इस प्ररूप में अंतर्विष्ट समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सही है ।

भवदीय

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम)

(पदनाम)

(आई.पी.ई. का नाम)

(आई.पी.ई. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक)

स्थान:

तारीख:

संलग्नक

चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया आई.पी.ई. का (*अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर*) शुद्ध मूल्य प्रमाणपत्र तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आई.पी.ई. की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों की प्रति” ।]

-